

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (28) वन / 2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:— 19.05.2023

विषय:—Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo.
संदर्भ :— प्रस्ताव संख्या (Proposal No. FP/RJ/ROAD/150326/2021)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में भारतमाला परियोजना (लॉट-6 / पैकेज-4) पनियाला-अलवर-बड़ौदामेव के तहत भारतमें माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिए आर्थिक गतियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडरमार्गों के विकास हेतु कुल 0.76 हैक्टरयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपन्नत प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.76 ha. forest land for Development of Economic Corridors Inter Corridors and Feeder Routes to improve the Efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana (Lot-6/Package-4)-Paniyala-Alwar-Barodameo की सैद्धान्तिक स्वीकृति 18 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- रात्रि केपिंग नहीं की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थन पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
- उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े रथानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य घर संबंधी लकड़ुमाली करना प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा।

Signature valid

Digital signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest वन विभाग कार्यालय, राजस्थान जयपुर
Date: 2023/05/19 17:52:25 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in Date: 2023/05/19 17:52:25 IST
Reason: Approved



9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विवित स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2 / 2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवरोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आव्याय (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विवित स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संवंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल वॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मवदीय,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर वाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का.पा.संस्कार संस्कारक, भरतपुर, राजस्थान 334001, जयपुर।

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest, Mewat Paryavaran, राजस्थान जयपुर,
Date: 2023-05-19 17:52:25 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर प्रदेश, भरतपुर, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in Date: 2023-05-19 17:52:25 IST
Reason: Approved

